150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ0 राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17
www.rajsmsa.nic.in
फोन नं: 0141–2715560 email- rajsmsaied@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प. / जय / आईईडी / 2021–22 / 2560 दिनांक : 17.8.2021

नवीन गतिविधि

दिशा–निर्देश

(सत्र 2021–22)

विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं हेतु सहायक सामग्री, उपकरण एवं टीएलएम

राज्य के सामान्य विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं (CWSN) को आवश्यक शैक्षणिक एवं थैरेपिक सम्बलन प्रदान करने एवं उनकी अन्तर्निहित क्षमताओं के विकास करने के उद्देश्य से समग्र शिक्षा के समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक ब्लॉक पर एक संदर्भ कक्ष की स्थापना की गई है। संदर्भ कक्ष पर निम्नानुसार कार्य किया जाता है :–

- समस्त चिन्हित विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं का रिकॉर्ड संधारण करना।
- विशेषज्ञों के सहयोग से बच्चों हेतु थैरेपिक संबलन का निर्धारण करना।
- बच्चों को सन्दर्भ कक्ष में संबलन हेतु मासिक कैलेण्डर तैयार करना।
- बच्चों को सन्दर्भ कक्ष में शैक्षणिक एवं थैरेपिक सम्बलन प्रदान करना।
- उपकरण का रख–रखाव सही रखते हुए उनकी कार्यशीलता सुनिश्चित करना।

विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराये जाने हेतु सहायक सामग्री, उपकरण एवं टीएलएम जैसे– Teaching learning material, assistive devices, furniture for resource room, hearing aid, braille kit, equipment for demonstration, embosed map, exerciser and other disability rehabilitation equipment की आवश्यकता संदर्भ कक्ष पर होती है। इन सामग्रियों की सहायता से विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाऐं प्रभावी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगें। इस वित्तीय वर्ष 2021–22 से इस नवीन गतिविधि का अनुमोदन पीएबी द्वारा किया गया।

वार्षिक कार्ययोजना सत्र 2021–22 में समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं (CWSN) हेतु 'Assistive Devices, Equipments and TLM' के अन्तर्गत निम्नानुसार (प्रति संदर्भ कक्ष ₹ 40,000/– की दर से 301 ब्लॉक हेतु कुल ₹ 120.400/–लाख) राशि प्राप्त हुई है।

Student Oriented Components (Upto Highest Class – VIII) (Recurring)				
S.N.	**Activity name**	**Unit Cost**	**No. of Block**	**Budget (In Lakh)**
199.4	Assistive Devices, Equipments and TLM	0.400	301	120.400

प्रति संदर्भ कक्ष ₹40,000/– की दर से 301 ब्लॉक हेतु कुल ₹120.400/–लाख की राशि संदर्भ कक्षों पर भिजवाया जाकर **'Assistive Devices, Equipments and TLM'** का क्रय व निर्माण किया जा सकेगा। संदर्भ कक्षों पर भिजवाये जाने हेतु "Assistive Devices, Equipments and TLM"निम्नानुसार है :–

1. संभाग स्तरीय 9 मॉडल संदर्भ कक्षों हेतु निम्नानुसार उपकरण क्रय किये जायेगें :–

S. N.	Name of Item	No. of Item	Rate	Budget
1.	Braille Kit	3	2000	6000
2.	Hearing Aid – Two pair	2	4000	8000
3.	Embosed Map	1	2500	2500
4.	Hand Grip Exerciser	2	500	1000
5.	Wrist Exersiser	1	1000	1000
6.	Low Vision Devices (Magnifier, Lenses etc.)		Lumsum	4000
7.	TLM (Hand made)		Lumsum	7000
8.	Furniture		Lumsum	8000
9.	Other item as per need		Lumsum	2500
			Total	**40000**

2. 292 संदर्भ कक्षों (संभाग स्तरीय 9 मॉडल संदर्भ कक्षों को छोड़कर) हेतु निम्नानुसार उपकरण क्रय किये जायेगें :–

S. N.	Name of Item	No. of Item	Rate	Budget
1.	Braille Kit	3	2000	6000
2.	Smart Cane	1	4500	4500
3.	MR Kit (MSIED Kit)	1	4500	4500
4.	Hearing Aid **– one pair**	1	4000	4000
5.	Embosed Map	1	2500	2500
6.	Hand Grip Exerciser	2	500	1000
7.	Wrist Exersiser	1	1000	1000
8.	Low Vision Devices (Magnifier, Lenses etc.)		Lumsum	4000
9.	TLM (Hand made)		Lumsum	5000
10.	Furniture		Lumsum	6000
11.	Other item as per need		Lumsum	1500
			Total	**40000**

टीएलएम हेतु सामग्री सुझाव :–

क्र. सं.	सामग्री
1.	पेग बोर्ड–लकड़ी
2.	प्लास्टिक मोती–रंगीन
3.	सचित्र रंगीन कहानी पुस्तक
4.	गिनती एवं वर्णमाला सैट
5.	फ्लैश कार्ड्स
6.	दैनिक जीवन के क्रियाकलाप चार्ट
7.	बॉडी पार्टस चार्ट
8.	सफेद कार्डशीट / चित्रकला शीट / वर्णमाला वर्क बुक
9.	कॉपी
10	पैन्सिल / पेन इत्यादि

उपकरणों के उपापन हेतु जिला स्तर पर निम्नांकित समिति द्वारा समस्त कार्यवाही की जायेगी :–

1 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा
2 अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा
3 सहायक लेखाधिकारी, समग्र शिक्षा
4 प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक, सन्दर्भ कक्ष वाले विद्यालय – सदस्य सचिव
5 विशेष शिक्षक / सन्दर्भ व्यक्ति (CWSN)

अन्य उल्लेखनीय बिन्दु :-

- उक्त समिति उपकरणों के उपापन हेतु निविदा शर्ते एवं नियम निर्देश तय करेगी।
- समिति इस बात को सुनिश्चित करेगी कि उपकरणों की आपूर्ति गुणवत्तापूर्ण तथा तय मापदण्डों के अनुसार नियत समय पर हो।
- संदर्भ कक्ष हेतु उपकरणों के क्रय का संपूर्ण व्यय समावेशी शिक्षा के **'Assistive Devices, Equipments and TLM' (Elementary – 199.4)** उपमद से किया जायेगा।
- संदर्भ केन्द्र की आवश्यकतानुसार उपकरणों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकेगी। परन्तु संदर्भ कक्षों हेतु अधिकतम जारी राशि में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- उपरोक्त सारणी में अंकित मूल्य सिर्फ अनुमानित है, जिसमें आवश्यकतानुसार कमी अथवा वृद्धि हो सकती है।
- उपकरणों का क्रय निविदा प्रक्रिया अपनाते हुए किया जाना है।
- राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012/नियम, 2013 की पालना उपकरणों के क्रय में सुनिश्चित की जाये।
- **'Assistive Devices, Equipments and TLM' (Elementary – 199.4)** उपमद हेतु जारी राशि को सन्दर्भ कक्ष वाले विद्यालय के एसएमसी/एसडीएमसी को हस्तान्तरित किया जाकर उपकरणों का क्रय किया जायेगा।
- राजस्थान सरकार द्वारा जारी मितव्यतता संबंधी परिपत्र की पालना सुनिश्चित की जाये।

➤ **<u>लेखा स्तर पर उल्लेखनीय बिन्दु :-</u>**

1. जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है व्यय उसी मद में ही किया जावे।
2. व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. राशि का उपयोग योजना के दिशा-निर्देशों, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

नोटः- (1) **गतिविधि संचालन के दौरान कोविड-19 के सन्दर्भ में गृह विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा राजस्थान सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन तथा राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी समस्त दिशा-निर्देशों की पूर्णता से पालना किया जाना सुनिश्चित करें।**

(2) उपरोक्त सम्पूर्ण उपापन कार्यवाही अनिवार्य रूप से सितम्बर, 2021 तक क्रय कर खर्च की प्रविष्टि PRABANDH Portal पर किया जाना सुनिश्चित करें।

(डॉ. भंवर लाल)
राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईईडी/2021-22/ 2560
दिनांक : 17.8.2021

प्रतिलिपि :-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय,राजस्थान सरकार
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा एवं आयुक्त, राज0 स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
5. अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. उपायुक्त (प्लान), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
8. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को पालनार्थ।
9. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को पालनार्थ।
10. रक्षित पत्रावली।

(डॉ0 रश्मि शर्मा)
अति0 राज्य परियोजना निदेशक